राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

2454. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना किन-किन राज्यों में क्रियान्वित की गई है,

(ख) इस प्रयोजन हेतु गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार नवीनतम ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या अब तक की गई समीक्षा के अनुसार प्रत्येक राज्य में परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान रा॰ सा॰ स॰ कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की रिलीज के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की लगातार निगरानी/समीक्षा की जाती है। इस संबंध में किए गए अद्यतन संकलन से यह पता चलता है कि यद्यपि कुछेक राज्य विशेष कर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के संबंध में पिछड़ रहे हैं किन्तु समान्यतया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूरे देश में संतोषजनक है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज किए गए फण्डों की सीमा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि के स्तर के संकेतक हैं। इस प्रकार, जबकि जिले को पहली किस्त स्वमेव जारी हो जाती है यदि उस जिले ने पिछले वर्ष के दौरान दूसरी किस्त ले ली है। दूसरी किस्त जारी नहीं की जाती है यदि उस वर्ष के दौरान उपलब्ध निधि के 60 प्रतिशत से कम व्यय का स्तर रहता है। अनुबंध-1 में दिया गया विवरण यह दर्शाता है कि वर्ष 1998-99 के दौरान केवल कुछेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निष्पादन उस वर्ष के दौरान उपलब्ध आवंटन की आशाओं के अनुरूप नहीं है।

(घ) अगस्त 1995 में जब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को शुरू किया गया था तो इसकी तीन योजनाओं में से दो योजनाएं अर्थात् रा॰ प॰ लाभ योजना और रा॰ मा॰ लाभ योजना अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बिल्कुल नई अवधारणा की थीं। इसलिए इन योजनाओं को वास्तविक रूप में लाने के लिए इनके नियम एवं विनियम तैयार करने में उन्हें कुछ समय लगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सामान्यतया राज्य के उस विभाग को सौंपी जाती है जो महिलाओं एवं शिशुओं से संबंधित विकास की देखभाल करते हैं। रा॰ सा॰ सहायता कार्यक्रम के बारे में जिला स्तरीय प्राधिकारी और योजना के कार्यान्वयन प्राधिकारियों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के मध्य अपेक्षित समन्वय की अक्सर कमी पायी जाती है जिससे इसका सुचारू कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वर्ष 1998-99

(रुपये लाख में)

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना			राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना		
		आवंटन	रिलीज	रिलीज	आवंटन	रिलीज	रिलीज	आवंटन	रिलीज	रिलीज
1.	आन्ध्र प्रदेश	4361.76	4395.77	100.78	3823.04	3823.07	100.00	1969.19	1969.21	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	1.94	4.23	22.88	1.06	4.63	19.34	0.78	4.03
3.	असम	656.14	552.22	84.16	646.36	281.85	43.61	292.34	82.04	28.06
4.	बिहार	6552.00	6001.91	91.60	1768.00	982.41	55.57	940.37	421.02	44.77
5.	गोवा	20.59	23.17	112.53	13.00	6.50	50.00	0.78	0.00	0.00
6.	गुजरात	514.80	344.77	66.97	156.00	58.09	37.24	104.00	24.66	23.71
7.	हरियाणा	352.87	295.46	83.73	31.20	27.60	88.75	52.00	29.33	56.40

(रुपये लाख में)

क्र. सं		राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना			राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना		
		आवंटन	रिलीज	रिलीज	आवंटन	रिलीज	रिलीज	आवंटन	रिलीज	रिलीज
8.	हिमाचल प्रदेश	108.58	106.17	97.78	40.04	21.84	54.55	15.60	5.69	36.47
9.	जम्मू व कश्मीर	248.98	152.63	61.30	62.40.	38.11	61.07	36.40	23.94	65.77
10.	कर्नाटक	2959.63	3231.30	109.18	143.52	79.32	55.27	78.00	38.10	48.85
11.	केरल	1252.37	1377.55	110.00	530.40	347.14	65.45	156.00	83.08	53.26
12.	मध्य प्रदेश	4585.46	4660.82	101.64	5106.40	3847.43	75.35	1040.00	565.29	54.35
13.	महाराष्ट्र	3096.72	3252.35	81.38	1026.74	693.05	67.50	312.00	227.31	72.86
14.	मणिपुर	97.34	18.82	19.33	28.60	6.15	21.50	40.56	0.99	2.44
15.	मेघालय	94.54	54.24	57.37	34.32	14.77	43.04	39.31	17.43	44.34
16.	मिजोरम	37.44	47.55	127.00	11.44	9.73	85.05	15.91	7.96	50.03
17.	नागालैंड	66.46	9.41	14.16	17.16	1.29	7.52	27.77	3.95	14.22
18.	उड़ीसा	3120.62	2046.66	65.59	1744.60	1008.90	57,83	780.00	462.80	59.33
19.	पंजाब	280.80	159.72	56.88	142.48	74.51	52.30	52.00	21.39	41.13
20.	राजस्थान	1404.00	815.21	58.06	468.16	379.59	81.08	312.00	152.14	48.76
21.	सिक्किम	22.47	38.21	170.05	5.72	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	3276.00	2310.75	70.54	1904.76	1437.45	75.47	906.36	266.32	29.38
23.	त्रिपुरा	146.02	137.68	94.29	93.60	47.30	50.53	101.40	64.53	63.64
24.	उत्तर प्रदेश	7956.00	7082.76	89.02	3120.00	1846.55	59.18	1300.00	523.02	40.23
25.	पश्चिम बंगाल	3312.50	2595.65	78.36	1047.70	216.70	20.68	616.15	166.26	26.98
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	5.62	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	12.17	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
28.	दा व न हवेली	2.81	1.41	50.18	2.86	1.43	50.00	0.47	0.00	0.00
29.	दमन व दीप	1.87	1.87	100.00	2.86	1.44	50.35	0.31	0.00	0.00
30.	दिल्ली	177.84	88.92	50.00	31.46	15.73	50.00	36.97	0.00	0.00
31.	लक्षदीप	0.94	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	14.04	14.04	100.00	2.86	2.86	100.00	7.54	7.54	100.00
	कुल	45685.24	39818.96	87.16	22037.14	15271.96	69.30	9259.27	5164.78	55.78

बिहार के भोजपुर जिले में सड़क की शोचनीय हालत

2455. मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: क्या ग्रामीण क्षेत्रऔर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बिहार के भोजपुर जिले में बिहियां-चौरास्ता को गौरा ग्राम से जोड़ने वाली सड़क की हालत बहुत ही शोचनीय है;

(ख) क्या सड़क की शोचनीय हालत के कारण इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं होती रहती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मरम्मत करने का विचार रखती है?

ग्रामीण क्षेत्रऔर रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ग) सड़क राज्य का विषय है। सड़क के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। सड़क निर्माण तथा उनके रख-रखाव के लिए राज्य-योजना के अंतर्गत निधियां योजना आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। बिहार राज्य के भोजपुर जिला के बिहियां-चौरास्ता से गौरा ग्राम को जोड़ने वाली सड़क का मरम्मत कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार अपनी योजना बनाने के लिए स्वतंत्र है तथा सड़क निर्माण तथा उनके रख-रखाव के बीच राज्य योजना के अन्तर्गत संविभाजित निधियां योजना आयोग द्वारा आवंटित की जाती है।